न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 31/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 8.3.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामस्वरूप आत्मज रामनारायण मीणा निवासी बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।

...अपीलाट

बनाम

पारी बाई बेवा रामनारायण मीणा निवासी बलकासा तहसील के0 पाटन मृतक कायम मुकामानः–
1. जवाहरी लाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बलकासा
2. नाथूलाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बलकासा
3. मांगीलाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बलकासा
4. रतनलाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बलकासा
5. रामप्रकाश आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बलकासा
6. जानकीलाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बलकासा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मनोज चांचोदिया अभिभाषक अपीलार्थी
श्री के0डी0 दाधीच अभिभाषक रेस्पो0 कम–6

निर्णय

दिनांक 23.1.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05/अपील/2011 बउनवान रामस्वरूप बनाम पारीबाई (मृतक) कायम मुकामान– जवाहरी लाल वगेरा आदि मे पारित निर्णय दिनांक 16.10.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरिया के खाता सं0 46 मे अंकित भूमि रकबा 1.73 है0 तथा खाता सं0 47 मे अंकित भूमि रकबा 5.90 के खातेदार जवाहरी लाल, रामस्वरूप, नाथूलाल, मांगीलाल, रतनलाल, रामप्रकाश, जानकीलाल एवं मु0 पारीबाई बेवा रामनारायण मीणा थो। पारीबाई को उक्त भूमि विरासत मे प्राप्त हुई थी। मु0 पारीबाई द्वारा जानकीलाल के पक्ष मे अपने हिस्से का हक त्याग कर देने के आधार पर पारीबाई के स्थान पर जानकीलाल के नाम तहसीलदार के0 पाटन द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 संख्या 318 दिनांक 31.3.2011 से अप्रसन्न होकर रामस्वरूप द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय के साथ अपील पेश की गई कि पक्षकारान जाति से मीणा है तथा इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है मीणा जाति मे महिलाओं को भूमि मे कोई अधिकार प्राप्त नही होता है वह केवल भरण पोषण

प्राप्त करने की अधिकारी होती है ऐसी स्थिति मे पारीबाई को जानकीलाल के पक्ष मे रिलीज डीड निष्पादित करने का कोई अधिकार नही था। अतः नामा0 निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 रिलीज डीड के आधार पर तस्दीक किये जाने तथा नामा0 मे कोई विधिक दोष होना प्रमाणित नही होने से अपील अपीलांट सारहीन होने से निर्णय दिनांक 16.10.2017 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय कानून एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अअधीनस्थ न्यायालय ने अपील मे वर्णित तथ्यों पर कोई गोर नही किया। तहसीलदार ने नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया भूमि पर अपीलांट सहित रेस्पो0 1 लगायत 6 संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है। पारीबाई का भूमि पर कोई कब्जा नही था कब्जे की तहसीलदार द्वारा जांच नही की गई जबकि नामा0 की कार्यवाही मे भूमि पर कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है। अतः नामा0 विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होना माना है ऐसी स्थिति मे मीणा जाति मे महिलाओ को भूमि मे कोई अधिकार प्राप्त नही होता है वह केवल भरण पोषण प्राप्त करने की ही अधिकारी होती है। अतः मु0 पारी बाई को उक्त भूमि रिलीज करने का कोई अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानना कि जिस नामान्तरकरण से पारी बाई को खाते दर्ज किया गया है उसे अपीलांट ने चेलेन्ज नही किया है गलत माना है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण चेलेन्ज करने की कानूनन आवश्यकता नही है जो विरासत मे दर्ज हुआ है उससे मीणा जाति मे महला को भूमि हस्तान्तरण करने का अधिकार हासिल नही होता है। पारीबाई को भूमि विरासत से रामनारायण पति से प्राप्त हुई है पारी बाई की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि रिलीज करने का अधिकार ही नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 16.10.17 एवं तहसीलदार के0 पाटन द्वारा तस्दीक किया गया नामा0 सं0 318 दिनांक 31.3.2011 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया रेस्पो0 कम–1 लगा0 5 उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित उक्त तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय एंव नामा0 सं0 318 दिनांक 31.3.2011 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि नामा0 सं0 318 दिनांक 31.3.2011 रिलीज डीड के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त नामा0 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16.10.17 से खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय सही है। बहस मे आगे बताया कि कोई भी खातेदार अपना हिस्सा रिलीज कर सकता है। सिविल कोर्ट से केन्सीलेशन का वाद खारिज हुआ है रेस्पो0 अभी भी स्टेण्ड कर रही है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अभिभाषक से जानकारी करने पर निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी 3.1.2018 को होना वर्णित कर प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को

अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। नामा0 सं0 318 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मु0 पारी बाई बेवा रामनारायण मीणा विवादित भूमि मे सहखातेदार अंकित है। पारीबाई द्वारा रिलीजडीड के माध्यम से उसने अपना हिस्सा जानकीलाल पुत्र रामनारायण के पक्ष मे रिलीज किया है जिसके आधार पर नामा0 सं0 318 तस्दीक किया गया। प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट के उक्त तर्क से सहमत होते हुये जेरअपील निर्णय दिनांक 16.10.17 मे यह अभिमत प्रकट किया है कि ''जिस नामा0 से मु0 पारीबाई को खातेदार दर्ज किया गया है उस नामान्तरकरण को अपीलांट ने चैलेंज नही किया। जंहा तक पारीबाई द्वारा रिलीज डीड निष्पादित करने का प्रश्न है वह खातेदार दर्ज है तथा कोई भी खातेदार अपना हिस्सा रिलीज कर सकता है। उक्त नामान्तरण रिलीज डीड के आधार पर ही तस्दीक किया गया है, जिसमे कोई विधिक दोष होना प्रमाणित नही होता है।'' अधीनस्थ न्यायालय के उक्त वर्णित अभिमत मे हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नही है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 23.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा